भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 908

उत्तर देने की तारीख 21.07.2022

जीडीपी में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान

908. श्री मगुंटा श्रीनिवासुली रेड्डी:
श्री विनायक भाऊराव राऊत:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितनी एमएसएमई इकाइयां हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई के योगदान का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई का योगदान कम हो रहा है/घट रहा है और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार अब यह केवल 30 प्रतिशत है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का किस प्रकार से इसे और बढ़ाने का विचार है; और

(ङ) आत्मनिर्भर भारत पैकेज का दायरा बढ़ाने से आने वाले चार-पांच वर्षों में इस आंकड़े को चालीस प्रतिशत तक ले जाने में किस हद तक मदद मिलेगी?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा कराए गए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) जुलाई, 2015-जून, 2016 के 73वें दौर के अनुसार उद्यमों की संख्या लगभग 6.34 करोड़ थी । इसका राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान अखिल भारतीय जीडीपी में एमएसएमई का सकल वर्धित मूल्य (जीवीए) का शेयर क्रमश: 29.25%, 29.69%, 30.50%, 30.50% तथा 26.83% प्रतिशत था। उपरोक्त आंकड़ों से, यह स्पष्ट है कि पिछले 5 वर्षों में अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई जीवीए के शेयर में काफी उतार-चढ़ाव रहा है।

(घ) और (ङ) : कोविड-19 महामारी ने देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहित विभिन्न क्षेत्रों को अस्थायी रूप से प्रभावित किया है। सरकार द्वारा लगाए गए सख्त लॉकडाउन उपायों के कारण आर्थिक गतिविधि कम हो गई थी। गतिधियों के कम होने की स्थिति ने एमएसएमई क्षेत्र को भी प्रभावित किया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) देश में एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करता है और लगातार सकल घरेलू उत्पाद के शेयर में बढ़ोतरी की दिशा में भरसक प्रयास कर रहा है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में चैम्पियन्स स्कीम (पूर्ववर्ती सीएलसीएस-टीयूएस), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), आकस्मिक क्रेडिट लाइन योजना (ईसीएलजीएस) शामिल हैं।

कोविड-19 के पश्चात सरकार ने देश में एमएसएमई क्षेत्रों को, विशेषकर कोविड-19 महामारी में सहायता प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कई पहलें की हैं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

i. एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) (जिसे बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार बाद में बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है)।
ii. आत्मनिर्भर भारत कोष के जरिए 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।
iii. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नए संशोधित मानदंड।
iv. व्यवसाय की सुगमता के लिए 'उद्यम पंजीकरण' के जरिए एमएसएमई का नए रूप में पंजीकरण।
v. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।

*****

अनुबंध -I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 908 जिसका उत्तर दिनांक 21.07.2022 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए गए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की 73वीं दौर की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित उद्यमों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उद्यमों की संख्या
1	उत्तर प्रदेश	8999485
2	पश्चिम बंगाल	8867437
3	तमिलनाडु	4947620
4	महाराष्ट्र	4777571
5	कर्नाटक	3834000
6	बिहार	3445562
7	आंध्र प्रदेश	3386983
8	गुजरात	3316401
9	राजस्थान	2686664
10	मध्य प्रदेश	2673933
1 1	तेलंगाना	2604569
12	केरल	2379392
13	ओडिशा	1984427
14	झारखंड	1587870
15	पंजाब	1465013
16	असम	1214042
17	हरियाणा	969697
18	दिल्ली	936186
19	छत्तीसगढ़	848128
20	जम्मू और कश्मीर	708880
21	उत्तराखंड	416629
22	हिमाचल प्रदेश	392078
23	त्रिपुरा	210831
24	मणिपुर	180131
25	मेघालय	112281
26	पुडुचेरी	95843
27	नागालैंड	91163
28	गोवा	70261
29	चंडीगढ़	56447
30	मिजोरम	34933
31	सिक्किम	26099
32	अरुणाचल प्रदेश	22733
33	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	19206
34	दादरा और नगर हवेली	15586
35	दमन और दीव	7714
36	लक्षद्वीप	1875
	कुल	63,38,7670